

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021—ज्येष्ठ 7, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2021

फा. क्र. 1881—2021—इक्कीस-ब(एक).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1)(ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550— 1230— 58930— 1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है :-

क्र.
(1)

नाम एवं पदनाम
(2)

1. श्रीमती अभिलाषा एन. मावर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा.
2. श्री अमित भूरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर.
3. श्री आशीषाद भिलाला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड.
4. श्री संदीप कुमार सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार.

6767

(1)	(2)	(1)	(2)
5.	श्री अभिषेक गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर.	21.	श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन.
6.	श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.	22.	श्री महेश कुमार झा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.
7.	श्री अनिल चौधरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया.	23.	श्रीमती नौसिन खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.
8.	श्रीमती कविता इवनाती, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिंडौरी.	24.	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना.
9.	श्री अतुलराज भलावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना.	25.	श्रीमती मान्देन्द्र प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर.
10.	श्री वरुण पुनासे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर.	26.	श्री अफजल खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन.
11.	श्रीमती शिल्पा तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.	27.	श्री आशीष दावड़े, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन (मण्डलेश्वर).
12.	श्री अजय रामावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी.	28.	श्री गौरव प्रज्ञानन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ.
13.	श्री विवेक कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी.	29.	श्री नीलेश कुमार गिरेती, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.
14.	श्री गोपेश गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़.	30.	श्री विपिन सिंह भदौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर.
15.	श्री विवेकानन्द त्रिवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.	31.	श्री राजेश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट.
16.	श्री हिमांशु कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद.	32.	श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय, छठवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उज्जैन.
17.	श्री इंदुकांत तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी.	33.	श्री पारस कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़.
18.	श्री रोहित सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया.	34.	श्री धर्मेन्द्र सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.
19.	श्री योगीराज पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा.	35.	श्री विवेक कुमार पाठक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर.
20.	श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा.		

(1)	(2)	(1)	(2)
36.	श्री युगल रघुवंशी, डिप्टी वेलफेयर कमिशनर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल.	52.	श्री उमेश कुमार सोनी, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.
37.	श्री स्वयं प्रकाश दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुपपुर.	53.	श्री महेश कुमार माली, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.
38.	श्री विशाल शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला.	54.	श्री हरीश चन्द्र पटेल, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर.
39.	श्री महेन्द्र मंगोदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर.	55.	श्री मनीष कुमार पाटीदार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास.
40.	श्री निशिथ खरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल.	56.	कुमारी चारुलता दांगी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, सनावद (मण्डलेश्वर).
41.	श्री उमेश कुमार पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना.	57.	कुमारी उर्मिला यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पाटन, जबलपुर.
42.	श्री राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश बासौदा (विदिशा).	58.	श्री उपदेश राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैगमगंज, रायसेन.
43.	श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह.	59.	श्री रूपेश नईक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जुन्नारदेव (जामाई), छिन्दवाड़ा.
44.	श्री विवेक बुखारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर.	60.	श्री अनिल कुमार नामदेव, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर.
45.	श्री संदीप कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा.	61.	श्री विशाल अखण्ड, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल.
46.	श्री जैनुल अबदीन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी.	62.	श्री हेमराज सनौदिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवास.
47.	श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सिवनी.	63.	श्री संतोष सैनी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कसरावद (मण्डलेश्वर).
48.	श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 पांडुर्ना, छिंदवाड़ा.	भोपाल, दिनांक 17 मई 2021 फा. क्र. 1705-2021-इक्कीस-ब(एक).- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं, अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को सौंपता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.	
49.	श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बैढ़न (सिंगरौली).		
50.	श्री हरीश वनवंशी, 10वें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर.		
51.	श्री विवेक शिवहरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जीरापुर (राजगढ़).		

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2021

क्र.- एफ-3-6-2021-तेरह.- विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 166 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2493-तेरह-2004, दिनांक 17 मई 2004 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1) में दिनांक 21 मई 2004 को किया गया था, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य समन्वय फोरम का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :-

1. अध्यक्ष, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग	अध्यक्ष
2. सदस्यगण, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग	सदस्य
3. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सदस्य
4. प्रबंध संचालक, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	सदस्य
5. प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	सदस्य
6. प्रबंध संचालक, म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	सदस्य
7. प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	सदस्य
8. प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सदस्य
9. ऊर्जा विभाग, म. प्र. शासन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. म. प्र. राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर का एक प्रतिनिधि	सदस्य

(2) राज्य समन्वय फोरम के अध्यक्ष द्वारा नामांकित म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य, फोरम के सदस्य-संयोजक होंगे.

(3) राज्य समन्वय फोरम की बैठकें प्रत्येक 3 माह में एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि का आयोजित की जायेंगी.

(4) फोरम की बैठकों के आयोजन व संचालन के नियमों का निर्धारण राज्य समन्वय फोरम के सदस्यों द्वारा किया जायेगा.

ORDER

No. F-3-6-2021-XIII.-In exercise of the powers conferred under Sub-Section (4) of Section 166 of Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003) and in supersession of Energy Department's order No. 2493-XIII-2004, dated 17th May 2004, published in Madhya Pradesh Gazette (Part-I) on dated 21st May 2004, the State Government, hereby reconstitutes the State Coordination Forum as below :-

1. Chairperson of the MP Electricity Regulatory Commission	Chairperson
2. Members of the MP Electricity Regulatory Commission	Member
3. Managing Director, MP Power Management Company Limited	Member
4. Managing Director, MP Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited	Member
5. Managing Director, MP Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited	Member
6. Managing Director, MP Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited	Member
7. Managing Director, MP Power Generating Company Limited	Member
8. Managing Director, MP Power Transmission Company Limited	Member
9. A representative of the Energy Department, Govt. of MP	Member
10. A representative from the MP State Load Dispatch Centre, Jabalpur	Member

2. One Member of the MP Electricity Regulatory Commission, as nominated by the Chairperson of the Forum, Shall be the Member-Convenor of the Coordination Forum.

3. The Meetings of the Coordination Forum shall be held once every three months on the date decided by the Chairperson of the Coordination Forum.

4. The rules for organizing and conduct of the meetings of the Forum will be decided by the members of the Forum.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2021

क्र.- एफ-01-01-2021-सात-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग शहडोल के जिला शहडोल के वर्तमान अनुविभाग जैतपुर तथा सोहागपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, अनुविभाग जैतपुर के स्थान पर अनुविभाग जैतपुर-बुढ़ार का गठन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग, को अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

क्र०	विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/ उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएँ	अभि- शक्तियों
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभाग-जैतपुर मुख्यालय-जैतपुर	तहसील बुढ़ार सम्मिलित होगी	अनुविभाग-जैतपुर-बुढ़ार मुख्यालय-बुढ़ार	तहसील जैतपुर तथा तहसील बुढ़ार समाविष्ट होगी	पूर्व में- जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) एवं जिला अनूपपुर, पश्चिम में- क्षेत्र अनुविभाग सोहागपुर, उत्तर में- जिला कोरिया (छत्तीसगढ़), दक्षिण में- जिला अनूपपुर	
2.	अनुविभाग-सोहागपुर मुख्यालय-सोहागपुर	तहसील बुढ़ार अपवर्जित होगी	अनुविभाग-सोहागपुर मुख्यालय-सोहागपुर	तहसील सोहागपुर	पूर्व में- प्रस्तावित अनुविभाग जैतपुर-बुढ़ार, पश्चिम में- जिला उमरिया, उत्तर में- अनुविभाग अयसिंहनगर, दक्षिण में- जिला अनूपपुर	

2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

**कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश**

क्र. 2187-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-009-अ-82-2020-21

भीकनगांव, दिनांक 5 मई 2021

**प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2581/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला खरगौन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव जिला-खरगौन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखापुर, प.ह.नं.- 30, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगौन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगौन	भीकनगांव	ग्राम- लखापुर, प.ह.नं.- 30	64 65/1	0.100
कुल योग			01	0.100

क्र. 2189-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0013-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2589/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आवल्या, प.ह.नं.- 27, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— आवल्या, प.ह.नं.— 27	15/3/1	0.040
			15/4	0.048
			15/3/2	0.032
			16/1/1	0.014
			कुल योग	

क्र. 2221-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-006-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2575/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर ग्राम- बावड़िया तह. सनावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 से ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 तक एवं उक्त पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- घोड़वा, प.ह.नं.- 10, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी डल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- घोड़वा, प.ह.नं.- 10	438	0.030
			439	0.098
			506	0.040
			507	0.112
			510	0.080

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- घोड़वा, प.ह.नं.- 10	512	0.032
			513	0.008
			514	0.047
			515	0.028
			516	0.036
			517	0.042
			518	0.033
			519	0.023
कुल योग			13	0.609

क्र. 2199-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0011-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2585/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आरूडी 83.045 कि०मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढाकबर्डी, प.ह.नं.- 29, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- ढाकबर्डी, प.ह.नं.- 29	65/1	0.034
			66	0.059
			69/1	0.081
			71/1/2	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- ढाकबर्डी, प.ह.नं.- 29	71/72/73/2 72, 73	0.075
			71/1/3 72/1/3 73/1/3	0.034
			71/1/172, 73	0.054
			75/4	0.056
			78/2	0.136
			कुल योग	0.544

क्र. 2195-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0025-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
[नियम- 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2567/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लछोरा, प.ह.नं.- 39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्तीयगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लछोरा, प.ह.नं.- 39	197	0.006
कुल योग			01	0.006

क्र. 2177-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0022-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2681/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- मछलगांव, प.ह.नं.- 34, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- मछलगांव, प.ह.नं.- 34	68/1	0.070
			60/2	0.048
			61/2	0.088
			63/2	0.038

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— मछलगानांव, प.ह.नं.— 34	63/1	0.038
			62/3	0.072
			61/3	0.012
			61/4	0.074
			32/4	0.100
			166	0.124
			170	0.070
			279/1	0.012
			277/1	0.028
			277/4	0.002
			274/4	0.018
			274/5	0.030
			274/7	0.041
			274/9	0.034
			272	0.008
			269/4	0.064
			269/3	0.024
			268/5	0.006
			268/6	0.118
			263/2	0.136
			262	0.019
कुल योग			25	1.274

क्र. 2181-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0017-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2851/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवलपुरा, प.ह.नं.- 95, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नवलपुरा, प.ह.नं.- 95	130/3	0.071
			131/1/4	0.002
			131/1/5	0.020
			131/1/6	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— नवलपुरा, प.ह.नं.— 95	131/1/7	0.022
			132/1/1/1	0.002
			132/1/2/1	0.048
			132/2/1/1	0.022
			132/2/1/3	0.021
			132/2/1/4	0.007
			132/2/3	0.014
			132/2/1/2	0.020
			133/1/1	0.032
			133/1/2	0.009
कुल योग			14	0.310

क्र. 2203-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-005-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2573/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-विंजलवाड़ा मार्डको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आस0डी0 39.00 कि0मी0 पर ग्राम- दौडवा, तह0- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-01 से ग्राम- बोरगांव, तह0 भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- पछाया, प.ह.नं.- 12, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पछाया, प.ह.नं.- 12	5	0.004
			6	0.009
			8/1	0.010
			8/2	0.028
			10/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— पछाया, प.ह.नं.— 12	11/1/2	0.007
			11/1/3	0.009
			11/1/4	0.011
			11/1/5	0.011
			13/1	0.006
			13/2	0.062
			16/3	0.002
			16/6	0.011
			16/4	0.003
			16/5	0.034
कुल योग			15	0.209

क्र. 2193-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0015-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2593/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल (ग्राम- महफाटा, प.ह.नं.- 34, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65	15/2	0.004
			17	0.053
			18	0.023
			32/10	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65	57	0.012
			58/1	0.017
			59/1	0.017
			58/2/2	0.021
			59/2	0.017
			59/3	0.010
			69	0.003
			70/2	0.011
			70/3	0.015
			94/4/3	0.013
			94/8	0.006
			103	0.018
			104/2	0.059
			130/3	
			104/4	0.035
			130/3	
			113/1/1	0.007
			105	0.019
			109	0.015
			111	0.023
112	0.009			
कुल योग			23	0.424

क्र. 2191-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0024-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2565/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा (कांझर), प.ह.नं.- 33, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	रामपुरा (कांझर), प.ह.नं.- 33	289	0.008
			288	0.016
			286	0.009
			285	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	रामपुरा (कांझर), प.ह.नं.- 33	284	0.013
			282	0.056
			272	0.008
			275	0.063
			276	0.031
			277	0.022
			226	0.050
कुल योग			11	0.283

क्र. 2209-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-008-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2577/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20	56/1/1	0.045
			56/1/2	0.002
			56/8	0.027
			56/2/1	0.023
			56/2/2	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.— 20	56/5	0.042
			56/6	0.031
			58/1	0.037
			कुल योग	0.231

क्र. 2205-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0023-अ-82-2020-21

प्ररूप— “घ”
[नियम— 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक—2583/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव—बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम— खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 04 से टेल (ग्राम—बिरुल प.ह.नं.—39, तह0 भीकनगांव, जिला— खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम— नागझिरी, प.ह.नं.— 33, तह0 भीकनगांव, जिला— खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— नागझिरी, प.ह.नं.— 33	294	0.014
			77	0.041
			80	0.043
			79	0.053

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— नागाझिरी, प.ह.नं.— 33	78	0.041
			84	0.034
			67	0.023
			66	0.040
			65	0.027
			68	0.002
			62	0.058
			59	0.044
			58	0.029
			7	0.063
			8	0.016
			3	0.041
			18	0.039
			19	0.034
			20	0.028
कुल योग			19	0.670

क्र. 2187-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-009-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2581/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखापुर, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लखापुर, प.ह.नं.- 30	64 65/1	0.100
कुल योग			01	0.100

क्र. 2183-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0016-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2595/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आरुडी 83.045 कि०मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक एवं पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल (ग्राम- महफाटा, प.ह.नं.- 34, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया, प.ह.नं.- 64, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बड़िया, प.ह.नं.- 64	3/3	0.056
			3/6	0.005
			3/1	0.052
			43	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— बड़िया, प.ह.नं.— 64	24/1	0.041
			23/4	0.017
			21	0.014
			20	0.035
			18/1	0.006
			77/3	0.016
			49/1	0.027
			14/1	0.028
			14/2	0.023
			14/3	0.024
			72	0.035
			73	0.007
			75/3	0.059
			75/2/2	0.005
			75/2/3	0.047
			76/1/1	0.045
			76/2	0.011
			77/2/3	0.013
			76/3/2	0.009
			76/3/3	0.020
कुल योग			24	0.597

क्र. 2179-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0014-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2591/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा मार्डको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम- बडिया तह० भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 30	11/2	0.004
			9/5	0.011
			9/6	0.024
			9/1	0.094

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— बंजारी, प.ह.नं.— 30	10/1	0.020
			4/2 5/1 5/2	0.002
			कुल योग	6

क्र. 2201-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0019-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2855/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16	1	0.070
			4	0.031
			5	0.004
			9	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— सिराली, प.ह.नं.— 18	10	0.084
			7	0.026
			8	0.072
			23	0.090
			22	0.014
			20	0.009
			21	
			19	0.019
			270/2/2	0.060
			270/2/3	0.024
			269/2/1	0.075
			303/1	0.062
			298	0.008
			303/2	0.046
			307/1	0.058
			308/465	0.034
			307/2	0.034
			316/2	0.088
			317	0.048
			346	0.064
			342/2/1	0.029
			363/3	0.004
			364/1/1	0.075
			365	0.017
			369	0.042
			372	0.019
			373	
कुल योग			29	1.211

क्र. 2197-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2587/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83,045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- भीकनगांव, प.ह.नं.- 43, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- भीकनगांव, प.ह.नं.- 43	127/7	0.052
			127/6	0.042
			127/1/2	0.038
			127/1/3	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— भीकनगांव, प.ह.नं.— 43	127/4	0.022
			129/2	0.063
कुल योग			6	0.233

क्र. 2211-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0020-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2557/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला-खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिरुल, प.ह.नं.- 39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39	10/4	0.065
			11/4	
			10/1	0.025
			11/1	
			10/5	0.027
			11/5	
			10/6	0.060
			11	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— बिरुल, प.ह.नं.— 39	13/1	0.033
			13/2	0.009
			12/1	0.029
			12/7	0.078
			21/1	0.082
कुल योग			09	0.408

क्र. 2215-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0026-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2569/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरुठ, प.ह.नं.- 10, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बोरुठ, प.ह.नं.- 10	504	0.025
			505	0.008
			519	0.045
			506	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- बोरुठ, प.ह.नं.- 10	516	0.010
			517	0.080
			520	0.020
कुल योग			7	0.190

क्र. 2207-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2583/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव जिला-खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- देवला, प.ह.नं.- 27/86, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- देवला, प.ह.नं.- 27/86	1/3	0.022
			18/1	0.066
			19	0.142
			21/1	0.027
			21/2	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— देवला, प.ह.नं.— 27 / 88	21/3	0.023
			21/4	0.020
			21/5/2	0.002
			23	0.004
			35	0.017
			62/1	0.098
			25	0.018
			36	0.021
			65/1	0.064
			65/4	0.058
			71	0.032
			72/2	0.020
			72/3	0.024
			72/4	0.043
			82/3	0.002
			84/2	0.128
			84/3	0.080
कुल योग			22	0.937

क्र. 2213-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0021-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2559/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- एकतासा, प.ह.नं.- 34, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- एकतासा, प.ह.नं.- 34	2/2	0.086
			3/1	0.057
			5	0.076
			4	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— एकतासा, प.ह.नं.— 34	8	0.110
			9	0.051
			10/2	0.089
			11	0.013
			13	0.049
			134	0.046
			135	0.021
			137	0.018
कुल योग			12	0.618

क्र. 2217-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0027-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
[नियम- 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2571/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कालधा, प.ह.नं.- 11, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कालधा, प.ह.नं.- 11	349	0.006
			350	0.094
			355	0.072
			359/2	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- कालधा, प.ह.नं.- 11	360	0.080
			361/2	0.018
			361/3	0.080
			कुल योग	

क्र. 2219-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-007-अ-82-2020-21

प्ररूप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2579/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि०मी० पर ग्राम- बावड़िया तह. सनावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 से ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 तक एवं उक्त पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- खारवी, प.ह.नं.- 10, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खारवी, प.ह.नं.- 10	158	0.055
			269	0.054
			270	0.051
			271	0.069
			272	0.036

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- खारवी, प.ह.नं.- 10	273	0.024
			275	0.002
			276	0.102
			303	0.022
			304	0.042
			306	0.024
			346	0.036
			369	0.078
			370	0.005
			371	0.024
			397	0.051
			421	0.001
			400	0.035
			404	0.008
			406	0.044
कुल योग			20	0.763

लोचन लाल अहिरवार, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).